Statement

Rate Structure for telecast of Documentary Films/Other category of programmes produced by outside Producers on different channels of Doordarshan.

S. No.	Category of programme (30 minutes duration)	Royalty Rate for DD1, DD2 and DD 3	Royalty Rate for Delhi & other Capital Kendras with Satellite Channels	Royalty Rate for other Kendras/ Single Metro on DD-2
1.	National/International award winning documentaries	Rs. 1,50,000/-	Rs. 75,000/-	Rs. 45,000/-
2.	Other Documentary	Rs. 75,000/-	Rs. 38,000/-	Rs. 23,000/-
3.	Animation Films	Rs. 80,000/-	Rs. 40,000/-	Rs. 24,000/-
4.	Plays/Operas/Ballet/ Musical Feature	Rs. 75,000/-	Rs. 38,000/-	Rs. 23,000/-
5.	Quiz	Rs. 70,000/-	Rs. 35,000/-	Rs. 21,000/-
6.	Features/Short films/on socially relevant themes	Rs. 68,000/-	Rs. 34,000/-	Rs. 20,000/-
7.	Sports	Rs. 60,000/-	Rs. 30,000/-	Rs. 18,000/-
8.	Light music/Classical music and dance	Rs. 53,000/-	Rs. 27,000/-	Rs. 16,000/-
9.	Interviews based programmes/ interviews/discussions	Rs. 30,000/-	Rs. 15,000/-	Rs. 9,000/-

In addition to this, the following terms and conditions for the rates of royalty for different programmes will also apply:

(i) The payment for a documentary/ programme with duration of less/more than 30 minutes will be proportionately less/more.

(ii) The rate for Black & White documentary/programme will be 30% less than the rates mentioned above subject to the provision of (i) above.

(iii) The above rates are not applicable to films/documentaries/programmes produced by Films Division/Public Sector Undertakings/Central Government Departments/State Governments.

(iv) For a repeat telecast the payment in each case will be at half (50%) of the rates mentioned above.

Privatisation of DD-3 Channel of Doordarshan

396. PROF. RAM KAPSE:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration for privatisation of DD-3 Channel of Doordarshan; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) Government is exploring the

feasibility of obtaining external financial assistance to meet the cost of the projected expansion of the terrestrial network of Doordarshan's DD-3 Channel in order to enable a larger segment of Indian viewers gain access to three, free to air, terrestrial channels of Doordarshan offering a wide variety of programmes. The specific modalities in this regard are yet to be decided.

दूरदर्शन का बकाया प्रसारण शुल्क

397. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विभिन्न व्यावसायिक एजेंसियों पर प्रसारण शुल्क बकाया है; यदि हां, तो ऐसे शुल्क की कुल कितनी धनराशि बकाया है और किन-किन एजेंसियों पर अलग-अलग कितना प्रसारण शुल्क बकाया है;

(ख) क्या दूरदर्शन ने इन शुल्कों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो एजेंसी-वार कितनी-कितनी राशि वसूली गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें काली सूची में घोषित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार संबंधित एजेंसियों से प्रसारण शुल्क की कुल बकाया धनराशि वसूल करने के लिये कोई तत्काल/प्रभावी कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो उक्त एजेंसियों से उपरोक्त प्रसारण शुल्क कब तक वसूल कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के पास पंजीकृत वाणिज्यिक एजेंसियां

398. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के पास पंजीकृत वाणिज्यिक एजेंसियों की संख्या कितनी है और उनके पंजीकरण को शासित करने वाले आधार/नियम क्या-क्या हैं तथा उनको आबंटित समय की श्रेणी कौन सी है;

(ख) दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों के लिये प्रसारण शुल्क किस आधार पर वसूल किया जाता है और उक्त शुल्क किस रूप में वसूल किया जाता है;

(ग) क्या दूरदर्शन पर प्रसारण समय आबंटित करने में और उनसे शुल्क वसूल किए जाने में किन्हीं नियमों का पालन किया जाता है; यदि हां, तो एजेंसियों की तरफ प्रसारण शुल्क बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम): (क) वर्तमान में, दूरदर्शन में लगभग 350 एजेंसियां पंजीकृत हैं। उनके पंजीकरण/प्रत्यायन को विनियंत्रित करने वाले विनियमन विवरण में दिए गए हैं। (**नीचे देखिए**)

(ख) वाणिज्यिक दर कार्ड के आधार पर प्रसारण शुल्क लिया जाता है जो समय स्लॉट एवं चैनल पर आधारित है। विज्ञापन एजेंसियों द्वारा ठेके प्राप्त किए जाते हैं और प्रत्यायन/पंजीकरण नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। चूंकि दूरदर्शन का 95% वाणिज्यिक व्यापार प्रत्यायन एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है जो 60 दिन की साख अवधि की पात्र हैं इसलिए एजेंसियों की ओर हमेशा कुछ देय राशि बकाया रहेंगी इन देय राशि की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन देय राशियों की वसूली के लिए बैंक गारन्टी को भुनाने, पथ भ्रष्ट एजेंसियों के अप्रत्यायन, मध्यस्थता एवं कानूनी कार्रवाई आदि सहित संविदात्मक प्रावधानों का सहारा लेता है।

विवरण

दूरदर्शन में विज्ञापन एजेंसियों के पंजीकरण एवं प्रत्यायन के लिए विनियमन।

1. निम्नलिखित विनियमन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-

2. परिभाषाएं

(i) सरकार से तात्पर्य भारत सरकार

(ii) महानिदेशक से तात्पर्य महानिदेशक: दूरदर्शन अथवा उनके द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी।